

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/64
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00057
CICOM/R/2018/00041

दिनांक: 14.03.2018

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख: 14.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती पूनम वर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.02.2018

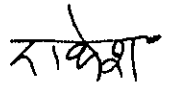
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है इसलिए जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. ऐक्ट, 2005 की धारा 20 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्रीमती पूनम वर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2018 को ही पत्र सं. 3/1/2017/Admin./CIC/DDO के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्रीमती पूनम वर्मा द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति पुनः संलग्न है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।



(आर. के. सिंह)

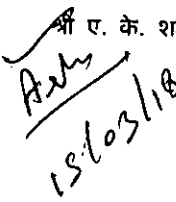
अपर सचिव एवं

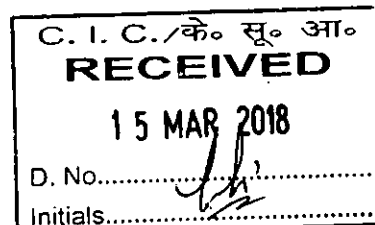
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


15/03/18



केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग/ Baba Gangnath Marg
मुनिरका/ Munrika, नई दिल्ली/ New Delhi 110067

मिसिलसंख्या 3/1/2017/CIC/DDO

दिनांक- 09 02 2018

सेवामें

Neeraja
C/o Sh. Shafik Ahmed, Adv.
New Lawyers Chamber No 404,
Supreme Court of India, New Delhi
Mob. 9968876357

विषय :- आपके आरटीआई . आवेदन के संबंध में।
महोदय,

आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 08/01/2017, जिसकी पंजीकरण संख्या CICOM/R/2018/00041 के संदर्भ में 1 नवंबर 2017 से आज तक केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा 150 पार्किंग sticker प्रदान किये गये हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी किये गये 150 पार्किंग sticker की विस्तृत जानकारी रोकड़ अनुभाग में उपलब्ध है, आप किसी भी कार्य दिवस में आ कर देख सकते हैं।

उपरोक्त जवाबके विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील है, इसके प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीराकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के निम्नलिखित पते पर की जा सकती है।

श्रीराकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली 110067 फ़ोन नंबर 011-26162290/26175295 (F) ईमेल as-cic@nic.in


(पूनम वर्मा)

आवेदन संचितरण अधिकारी (रोकड़)

Drawing & Disbursing Officer
Central Information Commission
New Delhi

प्रतिलिपि:-

1. जनसूचना अधिकारी, आरटी प्रकोष्ठ,
- 2.